राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग

क्रमांक : प.1(131)कार्मिक/क-3/जॉच/2022 जयपुर, दिनांक : 09-08-2022

आज्ञा

श्री राजेश कुमार मीणा-II, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर) के विरूद्व विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित है।

अत: राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री राजेश कुमार मीणा-II, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर) को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के एतद्व्दारा आदेश प्रदान करती है।

श्री राजेश कुमार मीणा-II, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर) का निलम्बन काल में मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
9/8/2022
(कैलाश चन्द्र कुमावत)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।

2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

4 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/1) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री राजेश कुमार मीणा-II, आर.ए.एस. (निलम्बित) को तामिल कराकर प्राप्ति रसीद शीघ्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें, साथ ही श्री राजेश कुमार मीणा-II, आर.ए.एस. (निलम्बित) को निलम्बन अधिकारियों हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में भी उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त इन्हे यह भी निर्देशित करें कि वे अपना मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नही छोडें। श्री राजेश कुमार मीणा-II, आर.ए.एस. (निलम्बित) को निलम्बन अवधि में उनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते, के बराबर निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।

5 जिला कलक्टर, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि श्री राजेश कुमार मीणा-II, आर.ए.एस. (निलम्बित) के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 एवं 19.05.2016 के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिपूर्ण प्रस्ताव मय अभिलेख सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत प्रशासनिक विभाग के माध्यम से शीघ्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

6 संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री राजेश कुमार मीणा-II, आर.ए.एस. (निलम्बित) के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 एवं 19.05.2016 के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिपूर्ण प्रस्ताव मय अभिलेख सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत प्रशासनिक विभाग के माध्यम से शीघ्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

7 श्री राजेश कुमार मीणा-II, आर.ए.एस. (निलम्बित) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हे यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोडें।
क्र.सं. 7 द्वारा :- संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक (क-4/1) विभाग।

8 कार्मिक (क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

9 वित्तिय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

10 कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।

11 सिस्टम-एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।

12 रक्षित पत्रावली।

9/8/2022
शासन उप सचिव